

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर।


प्रशासनिक आदेश

जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के पत्रांक-4173/न्याय सहायक/कोरोना वायरस/2020 दिनांक 23, अगस्त, 2020 के द्वारा सूचित किया गया है कि श्री वीरेन्द्र कंसल, अधिवक्ता, जिला न्यायालय, बुलन्दशहर की दिनांक 22.08.2020 को कोरोना पॉजिटिव होने पर मेरठ मेडिकल कॉलिज मेरठ में मृत्यु हो गई है। जिसके कारण जनपद न्यायालय, परिसर बुलन्दशहर का सेनेटाइजेशन कर 24 घन्टे परिसर बन्द करने सुझाव दिया है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक संख्या 1117/LXXXVII -सी0पी0सी0/ई0कोर्टस/इलाहाबाद दिनांकित 03.06.2020 के अनुपालन में केवल कल दिनांक 24.08.2020 को बुलन्दशहर जनपद न्यायालय सेनेटाइजेशन कराने व आवश्यक कार्यवाही हेतु सुरक्षा की दृष्टि से बन्द रहेगा तथा दिनांक 25.08.2020 को न्यायालय यथावत खुलेंगे।

सर्व सम्बन्धित सूचित हो।


दिनांक:-23.08.2020

  
23/8/2020  
(डा0अजय कृष्ण विश्वेश)  
जिला न्यायाधीश,  
बुलन्दशहर।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त पीठासीन अधिकारी, मुख्यालय जनपद न्यायालय बुलन्दशहर।
2. अध्यक्ष/सचिव जिला बार एसोशियेशन बुलन्दशहर।
3. अध्यक्ष/सचिव सिविल बार एसोशियेशन बुलन्दशहर।
4. केन्द्रीय नाजिर जनपद न्यायालय बुलन्दशहर।
5. सिस्टम आफिसर जनपद न्यायालय बुलन्दशहर की बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. समस्त कर्मचारी जनपद न्यायालय बुलन्दशहर।
7. जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर।

दिनांक:-23.08.2020

  
23/8/2020  
(डा0अजय कृष्ण विश्वेश)  
जिला न्यायाधीश,  
बुलन्दशहर।